

सूक्ष्म कार्ययोजना

किसी भी कार्यक्रम की सफलता का एक प्रमुख घटक है- कार्यक्रम संचालन के लिए कार्य योजना बनाना। शहरी एवं ग्रामीण स्वास्थ्य पोषण दिवस के सफल आयोजन और क्रियान्वयन हेतु उसकी सूक्ष्म कार्य योजना तैयार करना महत्वपूर्ण है। वर्तमान में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संचालित हो रहे समस्त टीकाकरण सत्र क्रमशः ग्रामीण एवं शहरी स्वास्थ्य पोषण दिवस के रूप में संचालित किये जायेंगे। इसकी कार्ययोजना हेतु 'नियमित टीकाकरण' कार्ययोजना का ही उपयोग किया जाएगा।

सूक्ष्म कार्ययोजना (माइक्रोप्लान) के महत्वपूर्ण घटक :-

(क) उपकेन्द्र हेतु माइक्रोप्लान

- उपकेन्द्र के अन्तर्गत आने वाले सभी गाँवों एवं मजरों की सूची बनाई जानी चाहिए।
- सभी गाँवों/मजरों एवं शहरी क्षेत्रों के प्रत्येक व्यक्ति की गणना करने के बाद सूची में कुल वास्तविक जनसंख्या दिखाई जानी चाहिए।
- क्षेत्रवार/ग्रामवार लाभार्थी (गर्भवती महिला/नवजात शिशु) की वार्षिक संख्या का आंकलन वास्तविक हेड काउन्ट के आधार पर करके लिखें।
- क्षेत्रवार/ग्रामवार लाभार्थी (गर्भवती महिला/नवजात शिशु) की मासिक संख्या का आंकलन वास्तविक हेड काउन्ट के आधार पर करके लिखें।
- प्रत्येक वैक्सीन एवं विटामिन 'ए' हेतु कुल मासिक लाभार्थी (गर्भवती महिला/नवजात शिशु) की गणना करें।
- लाभार्थी (गर्भवती महिला/नवजात शिशु) की मासिक संख्या के अनुसार वैक्सीन वायल एवं विटामिन 'ए' की शीशियों की संख्या की मासिक आवश्यकता लिखें।
- उपकेन्द्र की कार्ययोजना (रोस्टर) बनाकर सम्बन्धित गाँवों एवं मजरों के नाम वहाँ आयोजित होने वाले सत्रों का दिन लिखें।
- उपकेन्द्र का नक्शा बनाए जिसमें स्वास्थ्य केन्द्र (कोल्ड चेन) से दूरी, उपकेन्द्र के अन्तर्गत आने वाले सभी गाँवों एवं मजरों के नाम एवं दूरी, टीकाकरण दिवस, जनसंख्या एवं लाभार्थी संख्या लिखें।

सत्रों की संख्या का आंकलन:

याद रखें गाँवों एवं मजरों में सत्रों की संख्या का आंकलन इंजेक्शन की संख्या/लोड के आधार पर ही होगा।	
आउटरीच सत्रों के लिये मानक:	
25 इंजेक्शन तक	एक सत्र प्रति दो माह
25 से 50 इंजेक्शन तक	एक सत्र प्रति माह
50 इंजेक्शन से अधिक	दो सत्र प्रति माह
दुर्गम एवं ऐसे क्षेत्र जिनकी जनसंख्या 1000 से कम हो वहाँ कम से कम एक वर्ष में 4 सत्रों को आयोजन किया जायेगा।	

फिक्स्ड स्थल (पी0एच0सी/सी0एच0सी0) पर सत्रों के लिये मानक:	
40 इंजेक्शन से कम	एक सत्र प्रति दो माह
40 से 70 इंजेक्शन तक	एक सत्र प्रति माह
70 इंजेक्शन से अधिक	दो सत्र प्रति माह

- इंजेक्शन लोड आदि की गणना हेतु माइक्रोप्लान के प्रपत्रों की गणना युक्त साफ्टकॉपी उपलब्ध करा दी गई है साथ ही जिला चिकित्सालय/संयुक्त चिकित्सालय/मेडिकल कॉलेज में प्रतिदिन टीकाकरण सत्र कराना सुनिश्चित करें।
- ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जहाँ पर आने वाले लाभार्थियों की संख्या अधिक हो, उन लाभार्थियों हेतु प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार को टीकाकरण सत्र आयोजित करना सुनिश्चित करें।

(ख) ब्लॉक पर माइक्रोप्लान बनाने के निर्देश -

- प्रत्येक ब्लॉक का नक्शा बनाया जाये तथा इसके अंतर्गत आने वाले सभी स्वास्थ्य केन्द्र, उपकेन्द्र एवं गांवों को दर्शाया जाये।
- ब्लॉक के सभी गांवों, मजराओं एवं शहरी क्षेत्रों को माइक्रोप्लान में शामिल किया जाये और कोई भी क्षेत्र इस प्रक्रिया से छूटे नहीं साथ में यह ध्यान रहे कि सत्रों का आयोजन मानक के अनुसार ही हो।
- नियमित टीकाकरण सत्रों का आयोजन कार्ययोजना के अनुरूप निश्चित दिवस एवं निश्चित स्थान जैसे उपकेन्द्र, आंगनवाड़ी केन्द्र अन्य सामुदायिक स्थान जहां ज्यादा संख्या में बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं लाभान्वित हो सके, पर किया जाए।
- टीकाकरण सत्रों के शत-प्रतिशत आयोजन हेतु उपलब्ध मानव संसाधन (स्वास्थ्य कार्यकर्त्री) एवं कार्य दिवसों के आधार पर वैकल्पिक सत्र व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए। अगर किसी सार्वजनिक अवकाश या अन्य कारणों से सत्र आयोजित नहीं हो सके तो ऐसी स्थिति में मुख्य चिकित्साधिकारी छूटे हुए सत्रों की वैकल्पिक कार्ययोजना बनवाकर पूर्ण टीकाकरण करायें।
- ब्लॉक स्तर पर वैक्सीन भण्डार से सत्र स्थल तक वैक्सीन एवं लॉजिस्टिक पहुंचाने की व्यवस्था एल्टरनेट वैक्सीन डिलीवरी के माध्यम से सुनिश्चित की जाए। इस कार्य हेतु किसी जिम्मेदार व्यक्ति को चिन्हित किया जाए एवं कार्य योजना में उनका नाम एवं मोबाइल नं. स्पष्ट किया जाए।
- प्रत्येक सत्र हेतु गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों का चिन्हीकरण एएनएम/आशा तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के सहयोग से कराया जाए तथा उसके अनुरूप वैक्सीन एवं अन्य लॉजिस्टिक की आवश्यक मात्रा का सही रूप से आंकलन कर प्रत्येक सत्र में उपयुक्त मात्रा में वैक्सीन तथा अन्य लॉजिस्टिक उपलब्ध कराई जाए।
- प्रदेश के 11 चिन्हित बड़े शहरों तथा अन्य शहरों की मलिन बस्तियों हेतु टीकाकरण कार्ययोजना तैयार कर ली जाए। भारत सरकार के निर्देशानुसार मलिन बस्तियों में 10,000 की जनसंख्या में प्रति माह 4 टीकाकरण सत्र आयोजित किए जाने हैं। शहरी क्षेत्र में तैनात नियमित एएनएम/एलएचवी का आंकलन कर कार्य योजना तैयार कर लें, इसके अतिरिक्त एन.एच.एम. के अन्तर्गत यू.एच.एम. कार्यक्रम में प्रत्येक अरबन हेल्थ पोस्ट पर कार्यरत ए.एन.एम. की सेवाएं भी ली जाएं।

6. टीकाकारण सत्र का आयोजन :-

- टीकाकारण सत्र कार्ययोजना के अनुसार आयोजित किए जाएं। मुख्य चिकित्साधिकारी एवं जिला प्रतिरक्षण अधिकारी द्वारा प्रत्येक स्थिति में ब्लॉक स्तर एवं सत्र स्थल पर वैक्सीन की उपलब्धता उक्त दिवस के ड्यू लिस्ट के अनुसार सुनिश्चित की जाए।
- वैक्सीन के साथ उपलब्ध कराए गए डाइल्यूएंट का ही इस्तेमाल करें तथा प्रत्येक वायल में डाइल्यूएंट मिलाने के लिए अलग-अलग सिरिंज का इस्तेमाल करें।
- प्रत्येक माह के आखिरी सप्ताह में छूटे हुए सत्रों की अलग से कार्य योजना बनाते हुए टीकाकरण कराना सुनिश्चित करें।
- टीकाकर्मी को बच्चे के टीकाकारण से पहले साथ में आये अभिभावक को सम्पूर्ण जानकारी देनी है, तत्पश्चात् वैक्सीन दी जानी है तथा टीकाकरण के पश्चात् लाभार्थी को किसी भी तरह की प्रतिकूल घटना (AEFI) होने पर तत्काल चिकित्साधिकारी/अधीक्षक को सूचित किया जा सके।

ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के लिए पर्यवेक्षण प्रपत्र

ब्लॉक का नाम :

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ब्लॉक पीएचसी का नाम

प्रभारी अधिकारी का नाम :

उपकेन्द्र का नाम :

ग्राम सभा का नाम :

गाँव का नाम :

ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस का स्थल :

क्रम संख्या	मापदंड	मूल्यांकन हाँ/नहीं	टिप्पणी
भाग-1 : स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यकर्ता की उपस्थिति			
1	क्या सत्र पर एएनएम उपस्थित है?		
2	क्या सत्र पर आशा उपस्थित है?		
3	क्या सत्र पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री उपस्थित है?		
4	क्या स्वास्थ्य विभाग को कोई पर्यवेक्षक सत्र पर मौजूद है?		
5	क्या आई.सी.डी.एस. विभाग का कोई पर्यवेक्षक सत्र पर मौजूद है		
भाग-2 : स्वास्थ्य एवं पोषण के दौरान एएनएम द्वारा प्रदान की गई सेवाएं			
6	क्या गर्भवती महिलाओं को टिटनेस टाक्सॉइड के टीके दिए जा रहे हैं?		
7	क्या गर्भवती महिलाओं का रक्तचाप नापा जा रहा है?		
8	क्या गर्भवती महिलाओं का वजन किया जा रहा है?		
9	क्या गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की पहचान के लिए हीमोग्लोबिन स्ट्रिप द्वारा रक्त जाँच की जा रही है?		
10	क्या गर्भवती महिलाओं के पेट पर हाथ रखकर परीक्षण किया जा रहा है?		
11	क्या गर्भवती महिलाओं को लाल आयरन की गोली वितरित की जा रही है?		
12	क्या गर्भवती महिलाओं की यूरीस्टिक के माध्यम से पेशाब की जाँच की जा रही है?		
13	क्या एएनएम बच्चों को टीके लगा रही है?		
14	* क्या किशोरियों को नीली आयरन की गोली एवं बच्चों को लाल आयरन की गोली/सिरप वितरित किया जा रहा है?		
15	क्या बीमार बच्चों को डायरिया, निमोनिया या अन्य किसी बीमारी हेतु जाँच एवं दवाई वितरित की जा रही है?		
16	क्या महिलाओं/पुरुषों को परिवार नियोजन सम्बन्धित साधन वितरित किये जा रहे हैं।		

क्रम संख्या	मापदंड	मूल्यांकन हों/नहीं	टिप्पणी
भाग-3 : आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के दौरान प्रदान की गई सेवाएं			
17	क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पूर्व में चिन्हित कुपोषित बच्चों का वजन लेकर ग्रोथ चार्ट/मातृ-शिशु सुरक्षा कार्ड में अंकित कर रही है?		
18	क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को घर ले जाने वाला राशन वितरित किया जा रहा है?		
19	क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा किशोरियों को घर ले जाने वाला राशन वितरित किया जा रहा है?		
20	क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा गर्भवती महिलाओं को घर ले जाने वाला राशन वितरित किया जा रहा है?		
21	क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा स्तनपान करा रही माताओं को घर ले जाने वाला राशन वितरित किया जा रहा है?		
22	क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री ने 0-5 वर्ष तक के लाभार्थी बच्चों की सूची बनाई है?		
23	क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री सत्र पर लाभार्थियों को लाने में मदद कर रही है?		
भाग-4 : स्वास्थ्य एवं पोषण के दौरान आशा द्वारा प्रदान की गई सेवाएं			
24	क्या आशा ने गर्भवती महिलाओं, 0-2 वर्ष तक के बच्चों तथा योग्य दम्पतियों की आवश्यकतानुसार सेवाओं हेतु सूची बनाई है?		
25	क्या आशा लाभार्थियों को स्वास्थ्य एवं पोषण सत्र पर लाने के लिए प्रेरित कर रही है।		
भाग-5 : स्वास्थ्य एवं पोषण के दौरान द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की गुणवत्ता			
26	क्या सत्र पर उपलब्ध वजन मशीन (बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं हेतु) सही काम कर रही है?		
27	क्या सत्र स्थल पर उपलब्ध बी.पी. मशीन एवं स्टेथोस्कोप सही काम कर रही है?		
28	क्या सत्र स्थल पर उपलब्ध थर्मामीटर सही काम कर रहा है?		
29	क्या सत्र पर बीमार बच्चों/महिलाओं (गर्भवती, प्रसूता) को आवश्यकतानुसार जाँच व सन्दर्भन किया जा रहा है।		
30	क्या सत्र स्थल पर स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की प्रचार-प्रसार सामग्री प्रदर्शित की गई है?		
31	क्या सत्र पर लाभार्थियों/अभिभावकों को किसी भी विषय पर परामर्श/सलाह दी जा रही है।		
32	क्या सत्र कार्य योजना (दिन व स्थान) के अनुसार आयोजित किया गया है?		

* यदि दोनों प्रकार के लाभार्थियों को आयरन दिया जा रहा है तभी हों लिखें

नोट: यदि कोई कार्यकर्ता सत्र पर उपस्थित नहीं है तो उससे सम्बन्धित प्रश्नों में 'नहीं' अंकित करें

पर्यवेक्षक का नाम एवं हस्ताक्षर

आरक्षण सेवा प्रदाता के पदाधिकारी का नाम

1-जनपद का नाम		2-ब्लॉक का नाम		3-सीएचसी/बीपीएचसी का नाम		4-अप-फिर का नाम		5-ANM का नाम		6-आशा का नाम		7-गोवि/सब स्थल का नाम		8-सर्वप्रथम स्वामी कृपया सेवा प्रदाता करने के पश्चात महिला के पति का नाम		9-अति सामान्य अनुसूचित जाति अनुवासीत एवं अन्य पिछड़ा वर्ग		10-अति जोखिम वाली गर्भवती महिलाएं (एचएन संबंधित एचएम फॉलो-अप)		
पिता का नाम	पिता का नाम	पिता का नाम	पिता का नाम	पिता का नाम	पिता का नाम	पिता का नाम	पिता का नाम	पिता का नाम	पिता का नाम	पिता का नाम	पिता का नाम	पिता का नाम	पिता का नाम	पिता का नाम	पिता का नाम	पिता का नाम	पिता का नाम	पिता का नाम	पिता का नाम	
पिता का नाम	पिता का नाम	पिता का नाम	पिता का नाम	पिता का नाम	पिता का नाम	पिता का नाम	पिता का नाम	पिता का नाम	पिता का नाम	पिता का नाम	पिता का नाम	पिता का नाम	पिता का नाम	पिता का नाम	पिता का नाम	पिता का नाम	पिता का नाम	पिता का नाम	पिता का नाम	
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
कुल योग																				
0-1 वर्ष के बच्चे (कृपया सेवा प्रदाता करने के पश्चात टिक करें)																				
बच्चे का नाम																				
पिता का नाम																				
माता का नाम																				
लिंग																				
आयु																				
रिपोर्टिंग-1																				
रिपोर्टिंग-2																				
रिपोर्टिंग-3																				
रिपोर्टिंग-4																				
रिपोर्टिंग-5																				
रिपोर्टिंग-6																				
रिपोर्टिंग-7																				
रिपोर्टिंग-8																				
रिपोर्टिंग-9																				
रिपोर्टिंग-10																				
कुल योग																				
कुल योग																				

सं.	परिवार-नियोजन (परिवार नियोजन संबंधित सामग्रियों का वितरण) / परिवार नियोजन सेवाओं के लिए सदस्य (क)		डी	किशोरी बालिकाएँ (आयु 10-19 वर्ष)						किशोरी संकेतों का सामाजिक विपणन द्वारा वितरण									
	योग्य दंपति का नाम	पति का नाम		उम्र	जाति-सामान्य, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग	दी जाने वाली सेवाएँ	आसीपी	कॉडिंग	इसी पिक्स		आईयूसी हेतु संदर्भन	नखदी हेतु संदर्भन							
1											1								
2											2								
3											3								
4											4								
5											5								
6											6								
7											7								
8											8								
9											9								
10											10								
11											11								
12											12								
कुल योग																			
कुल योग																			

क्र. संख्या	टीके एवं आपूर्ति	Received		Returned to Cold Chain Point
		की	में	
1	बीसीजी वाइल			
2	डीपीटी वाइल			
3	ओपीवी वाइल			
4	हपटाइटिस वाइल			
5	खसरा वाइल			
6	टीटी वाइल			
7	ए.डी सिरिज-0.1 एमएल			
8	ए.डी सिरिज-0.5 एमएल			
9	डिफ्फेसेबल सिरिज-5 एमएल			

1	इंद्रिया से ग्रसित बच्चों की संख्या	
2	कुल वितरित किए गए ओआरएस पैकेट्स की संख्या	
3	उन बच्चों की संख्या जिनहोंने जिक के 14 टेबलेट्स का सेवन किया	
4	इंद्रिया से ग्रसित बच्चों की संख्या जिनको स्वास्थ्य केंद्र पर संदर्भित किया गया	
5	निमोनिया से ग्रसित बच्चों की संख्या	
6	निमोनिया से ग्रसित बच्चों की संख्या जिनको स्वास्थ्य केंद्र में संदर्भित किया गया	
7	माह में कुल मानव मृत्यु की संख्या	
8	माह में कुल शिशु मृत्यु की संख्या	

पर्यवेक्षक का नाम एवं हस्ताक्षर

आशा का नाम एवं हस्ताक्षर

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का नाम एवं हस्ताक्षर

एएनएम का नाम एवं हस्ताक्षर

ब्लॉक से जनपद को प्रेषित होने वाली रिपोर्ट

1-जनपद का नाम		2-ब्लॉक का नाम		मोबाइल नंबर		
3- प्रभारि चिकित्साधिकारी का नाम				मोबाइल नंबर		
4-बी पी एम का नाम						
5-माह	7-कुल नियोजित किए गए वीएचएनडी की संख्या					
6-वर्ष	8.कुल आयोजित किए गए वीएचएनडी की संख्या					
क्रम संख्या	सेवाएं	लक्ष्य		द्वय (इयू सीपी के अनुसार)	उपलब्धता	
		वार्षिक अनुमानित	मासिक अनुमानित		मासिक	क्रमिक
प्रसव पूर्व सेवाएं						
ए.1	प्रसव पूर्व देखभाल हेतु पंजीकृत किए गए कुल महिलाओं की संख्या					
ए.1.1	पहले त्रैमास में पंजीकृत किए गए प्रसव पूर्व देखभाल हेतु कुल महिलाओं की संख्या					
ए.1.2	कुल वितरित एमसीपी कार्ड					
प्रसव पूर्व जांच						
ए.2.1	कुल गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनके रक्तचाप का माप लिया गया					
A.2.2	कुल गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनके खून की जांच की गयी					
A.2.3	कुल गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनके पेट की जांच की गयी					
A.2.4	कुल गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनका वजन लिया गया					
A.2.5	कुल उच्च जोखिम वाली महिलाओं की संख्या (प्रबंधन, संदर्भन एवं फॉलो-अप)					
A.2.6	कुल उच्च जोखिम वाली महिलाओं की संख्या जिनको संदर्भित किया गया					
A.2.7	अंतिम त्रैमास में पंजीकृत होने वाली महिलाओं की संख्या					
A.2.8	अंतिम त्रैमास में पंजीकृत होने वाली महिलाओं की संख्या जिनका जन्म योजना पर परामर्श किया गया					
बच्चों के विकास हेतु टीकाकरण सेवा का विवरण						
बी.1- बच्चों के टीके						
B.1.1	बीसीजी					
B.1.2	डीपीटी-1					
B.1.3	पोलियो-1					
B.1.4	हिपेटाइटिस. बी-1					
B.1.5	डीपीटी-2					
B.1.6	पोलियो-2					
B.1.7	हिपेटाइटिस. बी-2					
B.1.8	डीपीटी-3					
B.1.9	पोलियो-3					
B.1.10	हिपेटाइटिस. बी-3					
B.1.11	खसरा-1					
B.1.12	जेई-प्रथम खुराक					
B.1.13	विटामिन-ए-प्रथम खुराक					
B.1.14	कुल बच्चों की संख्या जिनको उपरोक्त में से कोई भी टीका लगा हो					

B.2	बच्चे 1-5 वर्ष तक					
B.2.1	डीपीटी बूस्टर					
B.2.2	पोलियो बूस्टर					
B.2.3	खसरा-2					
B.2.4	जेई की द्वितीय खुराक					
B.2.5	बीएसपीएम के दौरान विटामिन-ए की द्वितीय से नवी खुराक					
C	परिवार नियोजन (परिवार नियोजन संबन्धित सामग्रियों का वितरण / परिवार नियोजन संबंधित संदेश)					
C.1	कुल योग्य दम्पतियों की संख्या जिनको गर्भ निरोधक गोलियां दी गईं					
C.2	कुल योग्य दम्पतियों की संख्या जिनको कॉडोम दी गईं					
C.3	कुल योग्य दम्पतियों की संख्या जिनको कॉपर-टी हेतु संदर्भित किया गया					
C.4	कुल योग्य दम्पतियों की संख्या जिनको नसबंदी हेतु संदर्भित किया गया					
D	किशोरी बालिकाएँ (10-19 वर्ष)					
D.1	टीटी					
D.2	सामाजिक विपणन प्रणाली के माध्यम से किशोरियों को वितरित की गयी सेनीटरी पैपर्स की संख्या					
E	पोषण संबन्धित सेवाएँ					
E-1	कुल गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनको आईएफए टैबलेट्स दिये गए					
E-2	कुल गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनको टीएचआर दिया गया					
E-3	कुल किशोरियों की संख्या जिनको नीली क्रिनाशक गोलियां दी गईं					
E-4	6 माह से पाँच वर्ष के बच्चों की संख्या जिनको आइरन सीरप दिया गया					
E-5	कुल बच्चों की संख्या जिनको टीएचआर दिया गया					
E-6	कुल बच्चों की संख्या जिनका वजन लिया गया एवं ग्रोथ मॉनिटरिंग चार्ट/वृद्धि पंजिका में अंकित किया गया					
E-7	कुल कम वजन वाले बच्चों की संख्या जिनको दोगुना टीएचआर दिया गया					
E-8	कम वजन वाले बच्चों की संख्या जिनको स्वास्थ्य केंद्र में जांच एवं उपचार हेतु संदर्भित किया गया (मल, खून एवं शारीरिक जांच)					
E-9	कुल अतिकूपोषित बच्चों की संख्या					
E-10	कुल अतिकूपोषित बच्चों की संख्या जिनको एनआरसी में उपचार हेतु संदर्भित किया गया					
F	अन्य सेवाएँ					
F.1	डाइरिया से ग्रसित बच्चों की संख्या					
F.2	कुल वितरित किए गए ओआरएस पैकेट्स की संख्या					
F.3	उन बच्चों की संख्या जिनहोने जिक के 14 टैबलेट्स का सेवन किया					
F.4	निमोनिया से ग्रसित बच्चों की संख्या					
F.5	निमोनिया से ग्रसित बच्चों की संख्या जिनको स्वास्थ्य केंद्र में संदर्भित किया गया					
F.6	माह में कुल मातृत्व मृत्यु की संख्या					
F.7	माह में कुल शिशु मृत्यु की संख्या					

जनपद से राज्य को प्रेषित होने वाली रिपोर्ट

1-जनपद का नाम-		2-ब्लॉक का नाम				
3. मुख्यचिकित्साधिकारी का नाम				मोबाइल नंबर		
4. वीएचएनडी के नोडल अधिकारी का नाम				मोबाइल नंबर		
5-माह		7-कुल नियोजित किए गए वीएचएनडी की संख्या				
6-वर्ष		8.कुल आयोजित किए गए वीएचएनडी की संख्या				
क्रम संख्या	सेवाएं	लक्ष्य		देय (ड्यू सूची के अनुसार)	उपलब्धता	
		वार्षिक अनुमानित	मासिक अनुमानित		मासिक	क्रमिक
ए-प्रसव पूर्व सेवाएं						
ए.1	प्रसव पूर्व देखभाल हेतु पंजीकृत किए गए कुल महिलाओं की संख्या					
ए.1.1	पहले त्रैमास में पंजीकृत किए गए प्रसव पूर्व देखभाल हेतु कुल महिलाओं की संख्या					
ए.1.2	कुल वितरित एमसीपी कार्ड					
ए-2-प्रसव पूर्व जांचें						
ए.2.1	कुल गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनके रक्तचाप का माप लिया गया					
ए.2.2	कुल गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनके खून की जांच की गयी					
ए.2.3	कुल गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनके पेट की जांच की गयी					
ए.2.4	कुल गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनका वजन लिया गया					
ए.2.5	कुल उच्च जोखिम वाली महिलाओं की संख्या (प्रबंधन, संदर्भन एवं फॉलो-अप)					
ए.2.6	कुल उच्च जोखिम वाली महिलाओं की संख्या जिनको संदर्भित किया गया					
ए.2.7	अंतिम त्रैमास में पंजीकृत होने वाली महिलाओं की संख्या					
ए.2.8	अंतिम त्रैमास में पंजीकृत होने वाली महिलाओं की संख्या जिनका जन्म योजना पर परामर्श किया गया					
B-उच्च जोखिम वाले बच्चों की प्रतिरक्षण सेवा का विवरण						
B.1-जन्म तक के बच्चे						
B.1.1	बीसीजी					
B.1.2	डीपीटी-1					
B.1.3	पोलियो-1					
B.1.4	हिपेटाइटिस. बी-1					
B.1.5	डीपीटी-2					
B.1.6	पोलियो-2					
B.1.7	हिपेटाइटिस. बी-2					
B.1.8	डीपीटी-3					
B.1.9	पोलियो-3					
B.1.10	हिपेटाइटिस. बी-3					
B.1.11	खसरा-1					
B.1.12	जेई-प्रथम खुराक					
B.1.13	विटामिन-ए-प्रथम खुराक					
B.1.14	कुल बच्चों की संख्या जिनको उपरोक्त में से कोई भी टीका लगा हो					

B.2	बच्चे 1-5 वर्ष तक						
B.2.1	डीपीटी बूस्टर						
B.2.2	पोलियो बूस्टर						
B.2.3	खसरा-2						
B.2.4	जेई की द्वितीय खुराक						
B.2.5	बीएसपीएम के दौरान विटामिन-ए की द्वितीय से नवी खुराक						
C	परिवार नियोजन (परिवार नियोजन संबन्धित सामग्रियों का वितरण / परिवार नियोजन सेवाओं हेतु संदर्भित)						
C.1	कुल योग्य दम्पतियों की संख्या जिनको गर्भ निरोधक गोलियां दी गईं						
C.2	कुल योग्य दम्पतियों की संख्या जिनको कॉंडोम दी गईं						
C.3	कुल योग्य दम्पतियों की संख्या जिनको कॉपर-टी हेतु संदर्भित किया गया						
C.4	कुल योग्य दम्पतियों की संख्या जिनको नसबंदी हेतु संदर्भित किया गया						
D	किशोरी बालिकाएँ (10-19 वर्ष)						
D.1	टीटी						
D.2	सामाजिक विपणन प्रणाली के माध्यम से किशोरियों को वितरित की गयी सेनीटरी नैप्टिक्स की संख्या						
E	पोषण संबन्धित सेवाएँ						
E-1	कुल गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनको आईएफए टैबलेट्स दिये गए						
E-2	कुल गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनको टीएचआर दिया गया						
E-3	कुल किशोरियों की संख्या जिनको नीली क्रिनाशक गोलियां दी गईं						
E-4	6 माह से पाँच वर्ष के बच्चों की संख्या जिनको आइरन सीरप दिया गया						
E-5	कुल बच्चों की संख्या जिनको टीएचआर दिया गया						
E-6	कुल बच्चों की संख्या जिनका वजन लिया गया एवं ग्रोथ मॉनिटरिंग चार्ट/वृद्धि पंजिका में अंकित किया गया						
E-7	कुल कम वजन वाले बच्चों की संख्या जिनको दोगुना टीएचआर दिया गया						
E-8	कम वजन वाले बच्चों की संख्या जिनको स्वास्थ्य केंद्र में जांच एवं उपचार हेतु संदर्भित किया गया (मल, खून एवं शारीरिक जांच)						
E-9	कुल अतिकूपोषित बच्चों की संख्या						
E-10	कुल अतिकूपोषित बच्चों की संख्या जिनको एनआरसी में उपचार हेतु संदर्भित किया गया						
F	अन्य सेवाएँ						
F.1	डाईरिया से ग्रसित बच्चों की संख्या						
F.2	कुल वितरित किए गए ओआरएस पैकेट्स की संख्या						
F.3	उन बच्चों की संख्या जिनहोने ज़िक के 14 टैबलेट्स का सेवन किया						
F.4	निमोनिया से ग्रसित बच्चों की संख्या						
F.5	निमोनिया से ग्रसित बच्चों की संख्या जिनको स्वास्थ्य केंद्र में संदर्भित किया गया						
F.6	माह में कुल मातृत्व मृत्यु की संख्या						
F.7	माह में कुल शिशु मृत्यु की संख्या						

वीएचएनडी के नोडल अधिकारी का हस्ताक्षर

मुख्यचिकित्साधिकारी के हस्ताक्षर

